तारीख हुक्म	न्यायालयः वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, के.पाटन बून्दी बउनवान् मदनलाल वगैरह बनाम चौथमल वगैरह दीवानी दावा संख्या–01/2023	न० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

09.07.2025

वकील पक्षकारान उपस्थित। इस आदेशिका द्वारा प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 35 स्टाम्प अधिनियम दिनांकित 14.05.2025 का निस्तारण किया जा रहा है, जिसका जवाब अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से पेश नहीं करना चाहा। बहस प्रार्थना पत्र उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो की पुनरावृत्ति करते हुये तर्क निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा पूर्व में दिनांक 03.04.2025 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर दिनांक 14.09.2006 के दस्तावेज बाबत् अनुतोष चाहा गया था, जिसमे सहवन से दस्तावेज तहरीर संख्या–2037 को अनुतोष में लिखने से रह गया था, जबकि दोनों दस्तावेज एक–दूसरे से पूरक है और दोनों दस्तावेज स्टाम्पित होना आवश्यक है। पूर्व में न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण/वादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर इकरारनामा दिनांकित 14.09.2006 को स्टाम्पित करने हेतु आदेश दिया गया है, जबकि दस्तावेज तहरीर संख्या–2037 का पूर्ण मुद्रांकन होना भी आवश्यक है। अतः उक्त दस्तावेज के मुद्रांकन हेतु आदेशित किया जावे।

दौराने बहस अधिवक्ता अप्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा तर्क दिये गये कि प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से पेश पूर्व के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय द्वारा आदेश दिया जा चुका है और जिस दस्तावेज को मुद्रांकित करने के आदेश प्रार्थीगण/वादीगण चाहते है वह दस्तावेज दिनांकित 14.09.2006 में पहले से ही समेकित है। ऐसी स्थिति में पेश प्रार्थना पत्र मात्र प्रकरण को विलंबित करने के आशय से पेश किया गया है। अतः पेश प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

सुना गया। बहस के तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से न्यायालय के समक्ष यह जाहिर आया है कि दिनांक 29.04.2025 को न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा पेश दस्तोवज दिनांकित 14.09.2006 के पूर्ण मुद्रांकन हेतु पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया था। प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से तहरीर संख्या–2037 के पूर्ण मुद्रांकन के संबंध में आदेश न्यायालय से चाहे है, जिसके संवंध में प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के पैरा संख्या–2 में स्पष्ट रूप से उक्त तहरीर के माध्यम से संबंधित खसरों में पन्नालाल जी के हिस्से में आयी जमीन को वादीगण के पिता को बेचान करना दर्शाया है और उक्त दस्तावेज के पठन से भी उक्त दस्तावेज के माध्यम से मोहरा हाली की मेढ, जिसका उल्लेख वादपत्र के पैरा संख्या–2 में है को विक्रय करना दर्शित आता है और उक्त दस्तावेज मुद्रांकित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र दस्तावेज में अंकित तथ्यों को मद्देनजर

09/07/25

रखते हुए स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रकट आता है। अतः प्रार्थीगण/वादीगण अधिवक्ता को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दस्तावेज की फोटोप्रति पत्रावली पर पेश कर मूल दस्तावेज प्राप्त कर स्वयं के स्तर पर कलक्टर मुद्रांक कोटा के समक्ष पेश कर समग्र रूप से स्टाम्पित करवाकर शीघ्रातिशीघ्र न्यायालय के समक्ष पेश करे। साथ ही कलक्टर मुद्रांक कोटा को इस संबंध में उक्त दस्तावेज समग्र रूप से स्टाम्पित करने हेतु पत्र जारी हो। तदनुसार प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 15.07.2025 को पेश हो।

09.07.25

(डॉ. ऋचा चायल)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
के.पाटन, जिला बून्दी